5.12.2044

पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पुनः पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कलमाणपुरा पो० ह० पाणोली की आ०नि० 602/1, 603, 602बी. स्थित है जो प्रार्थी की बपौती व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण बेदखली व नामान्तरण करने पर आमादा है, अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि गई बहस पर मनन किया। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया पाकर अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि मुकदमा संख्या 376/2009 के निर्णय तक मौजा कलमाणपुरा पो० ह० पाणोली की आ०नि० 602/1, 603, 602बी. में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल कुमार होकर दफ्तर से बन्द हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़